प्रपत्र : 1 कुल पृष्ठ – 5

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला.चौकी ,एसीबी, अजमेर ..... थाना.सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2023.....
प्र. इ. रि. स. 87/2023 दिनांक 19/04/2023
2. (अ) अधिनियम ... भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 .....धारायें...7 भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधन 2018) अधिनियम 1988 .....
(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें. ....
(स) अधिनियम .....धारायें.....
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या 348 समय 4:00 pm
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 18.04.2023.... समय 03.27 पीएम .....
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 17.04.2023 समय.....02.55 पीएम.....
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा दक्षिण 10 किलोमीटर .....
(ब) पता – डिपो मेनेजर कार्यालय आर.एस.बी.सी.एल, नसीराबाद रोड़ माखपुरा अजमेर बीट सख्या ..... जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.....जिला.....
6 परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम.... श्री रजनीश कुमार.....
(ब) पिता का नाम श्री ब्रह्मशंकर .....
(स) जन्म तिथि / वर्ष 28 साल.....
(द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
(य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....
जारी होने की जगह.....
(र) व्यवसाय..... .....प्राईवेट .....
(ल) पता ग्राम चांपानेरी पुलिस थाना भिनाय, जिला अजमेर .....
7 ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

श्री दीपक खत्री पुत्र श्री हरि देव खत्री उम्र 49 साल जाति खत्री निवासी ए–616, महावीर पब्लिक स्कूल के पास, पंचशील, अजमेर हाल डिपो मैनेजर राजस्थान स्टेट बेवरेज कोर्पोरेशन लिमिटेड, अजमेर मूल विभाग लेखाकार, आर.एस.आर.डी.सी., अजमेर

8 परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
.....7,000रू0 रिश्वत राशि.....
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा / यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....
.....7,000 / – –रू0 रिश्वत राशि .....
11 विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अजमेर। विषय :– रिश्वत मांगने की शिकायत बाबत्। महोदय जी निवेदन है कि मेरे पिताजी श्री ब्रह्मशंकर भांबी के नाम वार्ड न. 40 आदर्श नगर में आबकारी विभाग द्वारा एक शराब की दुकान आवंटित है। उक्त दुकान की देखरेख मेरे द्वारा ही की जाती हैं। श्री दीपक खत्री डिपो मैनेजर, राजस्थान बेवरेज कोर्पोरेशन लिमिटेड नसीराबाद रोड माखुपुरा अजमेर द्वारा मेरी उक्त दुकान को शराब उपलब्ध कराने का बिल काटने व चालान सेव / ऑन लाईन करने के बदले में मासिक बंधी के रूप मे प्रतिमाह 3,000रूपये की मांग की जा रही हैं तथा पिछले तीन माह के कुल नौ हजार रूपये बतौर रिश्वत मांगे जा रहे है। मैं इन्हैं रिश्वत नही देना चाहता हूँ। मैने आज सुबह करीब 10. 26 बजे नेट बैंकिंग के जरिये चालान जमा करवा दिया है। परन्तु डिपो मैनेजर द्वारा मुझे शराब की सप्लाई नही की जाकर कहा है कि पहले तीन माह की मंथली देने के बाद ही तुम्हें शराब की सप्लाई होगी। हमारी सरकारी शराब की दुकान है तथा नियमानुसार शराब डिपो कार्यालय से चालान जमा कराने के तुरन्त बाद ही उपलब्ध करवा दी जाती है। मेरे द्वारा रिश्वत राशि नही दी इसलिए वो मुझे शराब की सप्लाई नही कर रहे हैं। मैं डिपो मैनेजर दीपक खत्री को रिश्वत नही देना चाहता हूँ कृपया कार्यवाही करें। एसडी रजनीश कुमार, रजनीश कुमार पुत्र श्री ब्रहमशंकर भांबी, मु.पो. चांपानेरी तहसील भिनाय, अजमेर मो.नं. 7725943242

कार्यवाही पुलिस एसीबी अजमेर

समय 02.55 पीएम दिनांक 17.04.23

उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट परिवादी श्री रजनीश कुमार पुत्र श्री ब्रह्मशंकर भांबी जाति भांबी उम्र 28 साल निवासी ग्राम पंचायत चांपानेरी पुलिस थाना भिनाय जिला अजमेर ने उपस्थित होकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी, अजमेर के नाम का प्रार्थना पत्र मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया। प्रार्थना पत्र के संबंध में श्री अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय से जरिये मोबाईल हालात निवेदन किये, जिनके द्वारा अग्रिम कार्यवाही मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा सम्पादित की जाने के निर्देश प्रदान किये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवादी को पढ़कर सुनाया गया तो सही होना तथा स्वयम् का हस्तलिखित होना बताया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दरियाफ्त की तो बताया कि "मेरे पिताजी श्री ब्रह्मशंकर भांबी के नाम आवंटित शराब की दुकान की देखरेख मेरे द्वारा की जाती है तथा श्री दीपक खत्री डिपो मैनेजर, माखुपुरा द्वारा मेरी दुकान पर डिपो कार्यालय से शराब उपलब्ध कराने का बिल काटने व चालान सेव/ऑन लाईन करने के बदले में मासिक बंधी के रूप मे प्रतिमाह 3,000 रूपये के हिसाब से पिछले तीन माह के कुल नौ हजार रूपये मांग रहा हैं। मैने आज सुबह नेट बैकिंग से चालान जमा करवा दिया है परन्तु डिपो मैनेजर शराब की सप्लाई नही कर रहा है तथा कहा है कि तीन माह की मंथली देने के बाद ही तुम्हें शराब की सप्लाई होगी।" पूछने पर परिवादी ने बताया कि मेरी श्री दीपक खत्री, डिपो मैनेजर से कोई रंजीश एवं उधार का लेन–देन नही हैं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का पाया जाने पर श्री रविन्द्र सिंह कानि0 308 को कार्यालय कक्ष में तलब किया जाकर परिवादी से परिचय करवाया गया तथा कार्यालय अलमारी मे से डिजिटल वॉयस रिकार्डर मंगवाया जाकर परिवादी से परिचय करवाया जाकर परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकार्डर ऑपरेट करने की समझाईस कर वॉयस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर रिश्वत राशि मांग के संबंध में वार्ता करने हेतु श्री रविन्द्र सिंह कानि0 मय वॉयस रिकार्डर एवं परिवादी के परिवादी की मोटर साईकिल से माखुपुरा की ओर समय 03.40 पीएम पर रवाना किया गया। बाद सत्यापन श्री रविन्द्र सिंह कानि0 एवं परिवादी श्री रजनीश कुमार उपस्थित कार्यालय आये एवं श्री रविन्द्र सिंह कानि0 ने वॉयस रिकार्डर प्रस्तुत किया। परिवादी ने बताया कि मैं व श्री रविन्द्र सिंह आपके कार्यालय से रवाना होकर आर.एस.बी.सी.एल. डिपो मैनेजर कार्यालय नसीराबाद रोड़ माखुपुरा के बाहर पहुँचे तथा श्री रविन्द्र सिंह बाहर खड़े रहे तथा मुझे वॉयस रिकार्डर चालु कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु रवाना किया। मैं डिपो मैनेजर के कक्ष में गया तथा श्री दीपक खत्री से रिश्वत के संबंध में वार्ता की तो उसने प्रतिमाह 3,000 रूपये के हिसाब से पिछले तीन माह के 9,000 रूपये की मांग कर 2,000 रूपये प्राप्त किये तथा शेष राशि 7000 रूपये कल लेना तय किया हैं। उसके बाद मैंने डिपो कार्यालय से बाहर आकर वॉयस रिकार्डर श्री रविन्द्र सिंह को दे दिया, जिन्होने रिकार्डर बंद कर अपने पास रख लिया और हम दोनो वहां से रवाना होकर एसीबी कार्यालय आ गये। मन् निरीक्षक पुलिस ने वॉयस रिकार्डर चालु कर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई तथा रिश्वत राशि के संबंध में वार्ता दर्ज होना पाया गया। इसके बाद परिवादी को रिश्वत राशि 7,000 रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 18.04.23 को सुबह 10.00 बजे उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया तथा वॉयस रिकार्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। **दिनांक 18.04.23 समय 11.00 एएम** पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री रजनीश कुमार एवं स्वतन्त्र गवाह श्री सुरेश मीणा एवं श्री संजय मीणा उपस्थित कार्यालय हाजा आये। परिवादी एवं दोनो गवाहान का आपस मे परिचय करवाया। दोनो गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.04.2023 पढ़कर सुनाया गया तथा दोनो गवाहान से ट्रेप कार्यवाही मे स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति

प्राप्त की। परिवादी एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति मे दिनांक 17.04.23 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडीया तैयार की जाकर अलग–अलग कागज के लिफाफे मे रखी गई एवं मूल मैमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थेली मे रखकर सिल्ड चिट किया जाकर मार्क ''एम.'' अंकित किया जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये। परिवादी ने दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति मे रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के 14 नोट कुल 7,000 रूपये पेश किये, जिन पर श्री चतुर्भुज सैन वरिष्ठ सहायक से कार्यालय की अलमारी मे से फिनोफथलीन पाउडर मंगवाकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री रजनीश कुमार की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब मे कुछ भी शेष नही छोडते हुए पाउडरयुक्त नोट रखवाये गये। परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत पृथक से तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यो के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा सभी का आपस मे परिचय करवाया गया एवं की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवाया गया। कार्यालय अलमारी से वॉयस रिकार्डर निकालकर उसमे नया मैमोरी कार्ड डालकर श्री रविन्द्र सिंह कानि0 को सुपुर्द किया तथा परिवादी एवं श्री रविन्द्र सिंह कानि0 को परिवादी की मोटर साईकिल से, श्री गोविन्द शर्मा कानि0 को कानि0 की मोटर साईकिल से रवाना कर मैं एवं श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक मोटर साईकिल से तथा श्री अतुल साहू अति0 पुलिस अधीक्षक पुलिस, मय स्वतन्त्र गवाह श्री संजय मीणा, श्री सुरेश मीणा मय एसीबी स्टॉफ श्री युवराज सिंह हैड़ कानि0, श्री कैलाश चारण हैड़ कानि0, श्रीमती रूची उपाध्याय म.कानि. मय वाहन सरकारी बोलेरो आर.जे. –14–1390 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिंटर के रवाना होकर आबकारी डिपो कार्यालय से कुछ पहले पहुँचे। श्री रविन्द्र सिंह कानि0 द्वारा परिवादी श्री रजनीश कुमार को वॉयस रिकार्डर सुपुर्द कर परिवादी को डिपो कार्यालय की तरफ रवाना किया गया तथा मैं मय हमराहीयान के डिपो कार्यालय के सामने की तरफ रोड़ की दूसरी और व श्री अतुल साहू अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय मय गवाहान मय बोलेरो मय हमराहीयान के डिपो कार्यालय के पास अपनी–अपनी उपस्थित छिपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुए। **समय 03.27 पीएम** पर परिवादी श्री रजनीश कुमार ने डिपो मैनेजर कार्यालय राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (आर.एस.बी.सी.एल.) अजमेर के मैनगेट पर आकर अपने सिर पर हाथ फेर कर रिश्वत लेन–देन का निर्धारित ईशारा किया। जिस मन् निरीक्षक पुलिस ने समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यो को ईशारा कर बुलाया तथा मैं, श्री रविन्द्र सिंह कानि0, श्री गोविन्द शर्मा कानि0, श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक परिवादी के पास पहुँचे तथा परिवादी से वॉयस रिकार्डर लेकर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। पीछे–पीछे श्री अतुल साहू अति0 पुलिस अधीक्षक, श्री युवराज सिंह हैड़ कानि0, श्री कैलाश चारण हैड कानि0, श्रीमती रूची म.कानि. एवं स्वतन्त्र गवाह श्री संजय मीणा, सुरेश मीणा मय सरकारी वाहन के डीपो कार्यालय में प्रवेश किया तथा परिवादी के बताये अनुसार मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहीयान के डिपो मैनेजर के कक्ष में प्रवेश किया तो कक्ष में एक कुर्सी पर बैठे व्यक्ति जिसने नीली जिंस एवं चौकडीदार शर्ट पहन रखा है तथा आंखो पर चश्मा लगा हुआ है की और ईशारा कर बताया कि यही डीपो मैनेजर दीपक खत्री जी है, जिन्होने अभी मेरे से रिश्वत राशि के 7000 रूपये अपने हाथो से लेकर अपने सामने स्थित टेबल रख दिये है, जो अभी भी टेबल पर पड़े हैं। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर आने के प्रयोजन से अवगत कराते हुए इसका परिचय पूछा तो अपना नाम दीपक खत्री पुत्र श्री हरि देव खत्री उम्र 49 साल जाति खत्री निवासी ए–616, महावीर पब्लिक स्कूल के पास, पंचशील, अजमेर हाल डिपो मैनेजर राजस्थान स्टेट बेवरेज कोर्पोरेशन लिमिटेड, अजमेर होना

बताते हुए विगत् तीन वर्षो से प्रतिनियुक्ति पर होना बताया तथा मूल विभाग लेखाकार, आर. एस.आर.डी.सी., अजमेर होना बताया। श्री दीपक खत्री को परिवादी से ली गई रिश्वत राशि के संबंध में पूछा तो श्री दीपक खत्री के लिलाट पर पसीने आ गये और वह घबरा गया और कुछ नही बोला, जिसको पुनः तसल्ली देकर पूछा तो बताया कि यह गलत बोल रहा हैं, मैने इससे कोई रिश्वत नही ली हैं। मैने इसको उधार पैसे दिये थे, जो इसने मुझे आज लौटाये हैं। मौके पर उपस्थित परिवादी ने बताया कि दीपक जी झूंठ बोल रहे है, मेरे पिताजी के नाम आंवटित शराब की दुकान, जिसका संचालन मैं ही करता हूँ। दुकान पर उपलब्ध करवायी जाने वाली शराब का बिल काटने व चालान को ऑन लाईन/ सेव करने के बदले इन्होने मेरे से मासिक बंधी के रूप में 3,000 रूपये की मांग करते हुए पिछले तीन माह के कुल 9,000 रूपये रिश्वत की मांग की थी, जिस मेरे द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय दिनांक 17.04.2023 को इन्हे 2,000 रूपये दे दिये थे तथा शेष रिश्वत राशि 7000 रूपये आज इनको दिये है, रूपये देते समय पहले मैने 5,000 रूपये का कहा तो इन्होने कहा कि दो बाकी रहेंगे। फिर मैने इन्हैं कहा कि 7000 रूपये पुरे है, जो इन्होने अपने दोनो हाथो में लेकर अपनी टेबल रख लिये तथा मुझे कहा कि मार्च तक का हिसाब क्लियर हैं। उसके बाद मै इनके कक्ष से बाहर आया तथा मैन गेट पर आकर अपने सिर पर हाथ फेर कर रिश्वत राशि लेन–देन का ईशारा आपको किया। इस पर श्री दीपक को पूछा गया कि आपने कब श्री रजनीश को रूपये उधार दिये थे तथा कितने दिये तो दीपक खत्री ने कहा कि मुझे याद नही हैं। श्री दीपक खत्री द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करना पाया जाने पर सरकारी वाहन मे से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर श्री दीपक खत्री के कक्ष में रखे पानी के कैम्पर में से पानी की बोतल भरकर एवं डिपो कार्यालय से ही दो कांच के साफ गिलास मंगवाकर उनको साफ पानी से धुलवाया जाकर दोनो कांच के गिलास मे साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर अलग अलग गिलासो के घोल मे श्री दीपक खत्री डीपो मैनेजर के दाहिने व बांये हाथ की अगुंलियो एवं अंगुठे को बारी–बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने एवं बांये हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया। तत्पश्चात दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर व बायें हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर चारो शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर मार्क क्रमंशः आरएच 1, आरएच 2, एलएच 1 व एलएच 2 चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये। तत्पश्चात् स्वतन्त्र गवाह श्री संजय मीणा से श्री दीपक खत्री के सामने स्थित टेबल पर रखे 500–500 रूपये के नोटो को उठवाया जाकर गिनवाया गया तो 500–500 रूपये के 14 नोट कुल 7,000 रूपये होना बताया, जिस पर नोटो का मिलान पूर्व मे मूर्तिबशुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से दोनो गवाहान से करवाया गया तो नोटो के नम्बरो का मिलान हुबहु होना गवाहान द्वारा बताया गया। बरामदशुदा रिश्वत राशि के 500–500 रूपये के 14 नोटो को एक पीले कागज के लिफाफे में रखकर सील्ड कर मार्क एन अंकित कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये। तत्पश्चात् डिपो मैनेजर कार्यालय से एक साफ कांच का गिलास मंगवाकर गिलास मे साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर श्री दीपक खत्री डीपो मैनेजर के सामने स्थित टेबल, जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई है, उस स्थान को रूई के फौंहे से रगड़कर रूई के फौंहे को सोडियम कोर्बोनेट के घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया। तत्पश्चात दो कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर दोनो शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर मार्क क्रमंशः टी 1, टी 2 चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये। परिवादी ने बताया कि मेरे द्वारा कल सुबह करीब 10.30 एएम पर 1,09,000 रूपये ऑन लाईन आर.एस.बी.सी.एल. के खाते में जमा करवाये गये थे इसके बावजूद भी इन्होने मेरी डिमाण्ड के अनुसार शराब व बियर नही दी। जब मैने कल इनसे रिश्वत राशि के संबंध में बात की तथा दो हजार रूपये दिये तथा बाकी के 7,000 रूपये

आज देना तय किया, जिस पर इन्होने कल शाम को शराब मेरे चालक को उपलब्ध करवायी। परिवादी श्री रजनीश से संबन्धित चालान, बिल आदि के संबंध में पूछने पर श्री दीपक खत्री द्वारा श्री मुकुल मिश्रा, कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) के पास होना बताया। जिस पर श्री मुकुल मिश्रा को तलब कर परिवादी से संबन्धित बिल एवं चालान इत्यादि पेश करने हेतु कहने पर श्री मुकुल मिश्रा द्वारा परिवादी को शराब ईश्यू करने से संबन्धित आई.सी.आई.सी.आई. बैंक से आर.एस.बी.सी.एल. के नाम जारी चालान व ऑन लाईन रिपोर्ट बैंक चालान रजिस्टर दिनांक 17.04.23 व 18.04.23 का प्रिंट कम्प्यूटर से निकालकर प्रस्तुत किये। सभी दस्तावेजो के प्रत्येक पेज पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। श्री मुकुल मिश्रा से डिपो कार्यालय में नगद राशि जमा करवाने के संबंध में पूछने पर बताया कि डिपो कार्यालय में किसी प्रकार की नगद राशि जमा नही होती है। मात्र कार्यालय व्यय हेतु ही नगद राशि का उपयोग कार्यालय स्तर पर किया जाता हैं। शराब की सप्लाई हेतु अनुज्ञाधारी द्वारा बैंक के माध्यम से ऑन लाईन चालान जमा करवाये जाने पर बिल काटकर चालान सेव/ऑन लाईन करके शराब उपलब्ध करवायी जाती हैं। आरोपी को जरिए फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। फर्द नक्शा मौका घटना स्थल पृथक से मूर्तिब किया गया। तत्पश्चात् परिवादी को मौके पर फारिक कर मन् निरीक्षक पुलिस, मय आरोपी श्री दीपक खत्री, स्वतन्त्र गवाहान एवं अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय मय एसीबी स्टॉफ मय जब्तशुदा आर्टिकल, ट्रेप बॉक्स, वॉयस रिकार्डर, लेपटॉप, प्रिंटर के सरकारी वाहन एवं मोटर साईकिलो से रवाना होकर एसीबी कार्यालय अजमेर पहुँचे। आरोपी का मेडिकल करवाया गया। **दिनांक 19.04.23** को परिवादी श्री रजनीश कुमार एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति मे परिवादी व आरोपी श्री दीपक खत्री के मध्य रिश्वत राशि लेन–देन के समय दिनांक 18.04.23 को रूबरू हुई वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की दो सीडीयां तैयार की एवं मूल मैमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थेली मे रखकर सिल्ड चिट किया जाकर मार्क **"एम–1"** अंकित किया जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया।

सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि श्री दीपक खत्री, डिपो मेनेजर, राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड नसीराबाद रोड माखुपुरा, जिला अजमेर ने परिवादी श्री रजनीश कुमार के पिता श्री ब्रह्म शंकर भांबी के नाम वार्ड न. 40 आदर्श नगर, अजमेर में आवंटित शराब की दुकान में शराब उपलब्ध कराने का बिल काटने व चालान ऑन लाईन/सेव करने की एवज में प्रति माह मासिक बन्धी के रूप में परिवादी से 3,000 रूपये के हिसाब से पिछले 3 माह का कुल 9000 रूपये रिश्वत की मांग की तथा दिनांक 17.04.23 को आरोपी श्री दीपक खत्री द्वारा दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन परिवादी से 2,000 रूपये रिश्वत के प्राप्त किए तथा शेष 7,000 रूपये लेना तय किया। जिस पर दिनांक 18.04.23 को आरोपी श्री दीपक खत्री ने उसकी मांग के अनुसार परिवादी से रिश्वत राशि के शेष 7,000 रूपये अपने हाथो से प्राप्त कर अपने सामने स्थित टेबल पर रखे, जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई तथा आरोपी के दोनो हाथो एवं टेबल के धोवण का रंग हल्का गुलाबी आना पाया गया हैं। इस प्रकार आरोपी श्री दीपक खत्री, डीपो मैनेजर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधन 2018) 1988 का कारित करना पाया जाने पर उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित हैं।

(नरेश चौहान)
निरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
अजमेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेश चौहान, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री दीपक खत्री, हाल डिपो मैनेजर राजस्थान स्टेट बेवरेज कोर्पोरेशन लिमिटेड, अजमेर मूल विभाग लेखाकार, आर.एस.आर.डी.सी., अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 87/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

19/4/23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 689-93 दिनांक 19.04.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
3. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान टूरिज्म डवलपमेंन्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
5. श्री ललित किशोर शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसआईडब्ल्यू, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

19/4/23

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।